राजीव गांधी किसान न्याय योजना

न्याय के विस्तार से बढ़ेगी किसानों की आय

आदान सहायता राशि

- खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को **प्रति वर्ष 9,000 रू.** प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी।
- वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वे धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं, तो उसे **प्रति एकड़ 10,000 रू.** आदान सहायता राशि दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक आदान सहायता राशि दी जाएगी।

कृषक का पंजीयन

- लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों को 1 जून से 30 सितंबर 2021 तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल https://rgkny.cg.nic.in में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना-2020

18.45 लाख किसानों को

5628 करोड़ रू. प्रदत्त

राजीव गांधी किसान न्याय योजना-2021

21.52 लाख किसानों को

5703 करोड़ रू. प्रदत्त

प्रथम व द्वितीय किस्त

3042 करोड़ रू. प्रदत्त

पात्रता

- समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
- संस्थागत भू-धारक कृषक इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
- रेगहा/बटाईदार/लीजी कृषक योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
- संबंधित मौसम में भुंइया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे में से जो भी कम हो, उक्त फसल व रकबे को आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्य किया जाएगा।
- कृषकों को आदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
- निर्धारित फसलों पर ही आदान सहायता देय होगी।
- पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा।
- आवेदन-पत्र में गलत जानकारी देकर सहायता राशि प्राप्त करने वाले कृषकों से भू-राजस्व संहिता के प्रचलित प्रावधान अनुसार राशि की वसूली की जाएगी।
- पंजीकृत कृषक की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार के द्वारा परिवार के नामांकित व्यक्ति के नाम से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

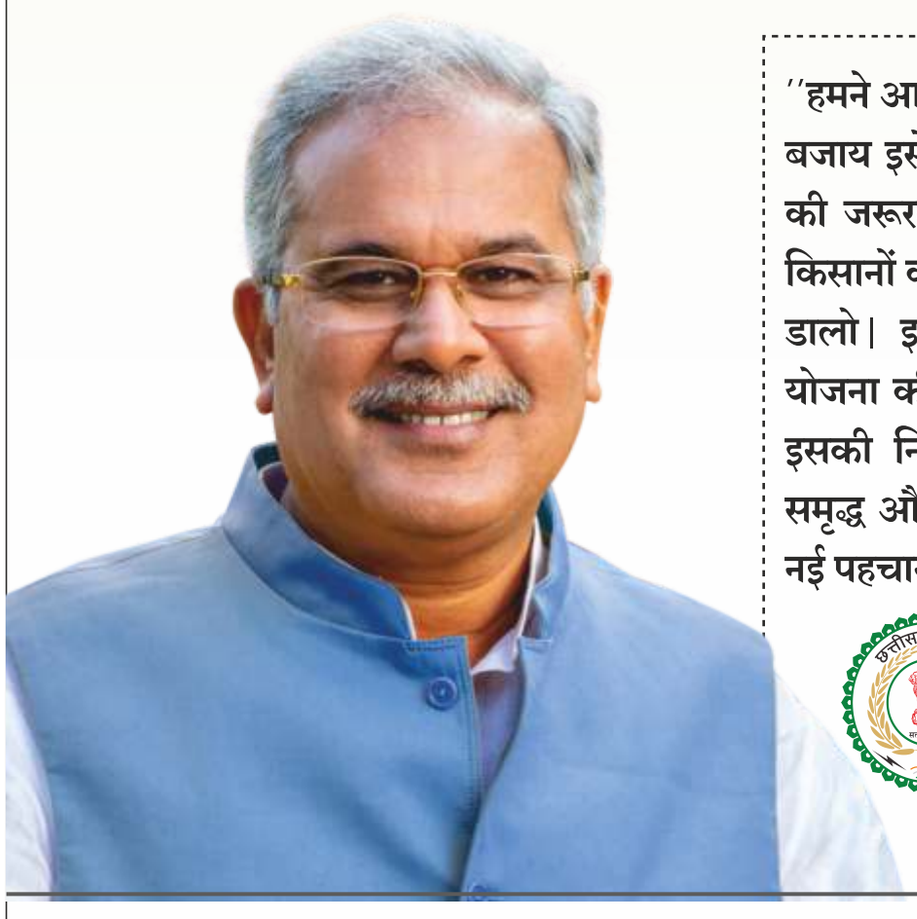

''हमने आपदा को व्यावसायिक अवसर मानने की बजाय इसे संवेदनशीलता के साथ निष्काम सेवा की जरूरत माना। हमारे मार्गदर्शक ने कहा कि किसानों को कर्ज से मत लादो, उनकी जेब में पैसा डालो। इस प्रकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत वर्ष 2020 में हुई और अब इसकी निरंतरता की व्यवस्था कर दी गई है। समृद्ध और खुशहाल किसान, नए छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनेंगे''।

भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सेवा-जतन-सरोकार : छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क